राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नारायण बनाम लक्ष्मी देवी 783/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
17/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम नांगल भरडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 406 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 2060 रकबा 1.14 है. भूमि में रामू पुत्र भीखा दरोगा, निवासी नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का निहित 1/2 हिस्सा की भूमि वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.10.1995 को मुबलिग 50000/- रुपये में खरीद कर कब्जा वाकई प्राप्त कर लिया था तथा वादीगण तभी से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम का इन्द्राज कराने हेतु प्रतिवादी संख्या 6 के कार्यालय में सन् 1995 में ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 6 ने राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने का आश्वासन दिया जाता रहा था कि अभी नामान्तकरण तसदीक किये जावेंगे, तब वादीगण के नाम से नामान्तकरण तसदीक कर इन्द्राज करा दिया जावेगा। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 से सांठ-गांठ करके प्रतिवादी संख्या 6 ने उक्त आराजीयात में निहित रामू पुत्र भीखा दरोगा के 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण गलत रुप से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक में दिनांक 31.12.2010 को तसदीक कर राजस्व रिकार्ड में समस्त आराजी खसरा नम्बर 406 हाल खसरा नम्बर 2060 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम अवैध रुप से इन्द्राज कर दिया था। जबकि उक्त आराजी खसरा नम्बर 406 हाल खसरा नम्बर 2060 में रामू पुत्र भीखा एवं छोटू पुत्र भीखा दरोगा निवासी नांगलभरडा का बराबर बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 से साजिश करके प्रतिवादी नं. 6 ने उक्त आराजीयात सम्पूर्ण का केवल छोटु के नाम का गलत रुप से इन्द्राज करके प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक में इन्द्राज कर दिया था। जो कि प्रारम्भतः अवैध व शून्य है। प्रतिवादीगण द्वारा की गयी साजिशी कार्यवाही कर नामान्तकरण तसदीक करने एवं इन्द्राज करने बाबत् वादीगण को सर्व प्रथम दिनांक 02.05.2010 को जानकारी हुयी थी, तब वादीगण ने उसकी नकल निकलवायी थी तथा प्रतिवादी संख्या 6 से उक्त गलत व अवैध कार्यवाही करने के बाबत् राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नारायण बनाम लक्ष्मी देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/3/2025		

कहा तो प्रतिवादी नं0 6 ने कहा कि वादीगण को जो भी करना हो करें। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता श्री छोटु से उसके हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री कराने हेतु एक नोटिस दिनांक 01.06.2011 को दिया गया था, जो कि प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 02.06.2011 को मिल गया था, नोटिस मिलने के पश्चात् प्रतिवादी नं0 1 ता 5 ने वादीगण को दिनांक 04.06.2011 को ऐलानियां धमकी दी कि प्रतिवादी नं. 1 ता 5 विवादित आराजीयात को अन्य को विक्रय कर देंगे तथा वादीगण को बेदखल कर देंगे। जिस कारण वादीगण को पूर्ण भय उत्पन्न हो गया है कि प्रतिवादी नं. 6 ने प्रतिवादी नं. 1 ता 5 साजिश करके उक्त आराजीयात को विक्रय कर सकते है तथा वादीगण को कभी भी बेदखल कर सकते हैं अतः दावा दायर करना आवश्यक हुआ है। वाद पत्र के अन्त वादी ने निम्न अनुतोष चाहा है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 406 हाल खसरा नम्बर 2060 में रामू पुत्र भीखा दरोगा के 1/2 हिस्से की भूमि का छोटु पुत्र भीखा दरोगा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक में किये गये इन्द्राज एवं नामान्तकरण को प्रारम्भतः अवैध एवं शून्य घोषित किया जावें तथा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। विवादित आराजीयात में रामू दरोगा से 1/2 हिस्से की वादीगण द्वारा खरीद शुदा एवं कब्जे शुदा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम इन्द्राज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 6 को आदेश फरमाया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 406 हाल खसरा नम्बर 2060 की खरीद शुदा भूमि से वादीगण को जबरन लाठी के जोर से बेदखल नहीं करें तथा वादीगण को जबरन लाठी के जोर से बेदखल नहीं करे तथा वादीगण द्वारा उक्त विवादित आराजीयात के उपयोग उपभोग एवं काश्त किये जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा विवादित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें तथा न ही अपने ऐजेन्टस, सर्वेन्टस या वर्कमैन, परिवारजन इत्यादि से करावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 5 की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात वादीगण की बहस समायत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24/04/2025 पारित करते हुये वादीगण का वाद पोषणीय नही होना धारित करते हुये ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नारायण बनाम लक्ष्मी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
783/2025		

द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तु॰ की गयी, जिस पर रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनदेखी कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये प्रश्नाधीन घोषणा, इन्द्राॅज दुरुस्ती के वाद को ख़ारिज किया गया है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती के वाद को तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत विवेचन करते हुये निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर सरसरी तौर पर वाद को ख़ारिज करने में प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/04/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे साक्ष्य-सबूत का बाद सुनवाई पक्षकारान॰ तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर